बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार तिथि १६ नवम्बर, १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीप नारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के चतुर्थ सत्र (नवम्बर, दिसम्बर, १९५८) के शेष ४५२ अनागत तारांकित प्रश्नों में से ११२ प्रश्नों के उत्तर सभा की मेज पर रखता हूं। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री रामदेव सिंह	२१
२	श्री रमा कान्त झा	८७, ५३३, ५६४
३	श्री कर्पूरी ठाकुर	८७, ७१६
४	श्री बैद्यनाथ प्रसाद सिंह	११७, ५९३, ५९४, १०५७
५	श्री रसिक लाल यादव	१५९, ७६२, ८३४
६	श्री राम नारायण शर्मा	२८९
७	श्री रामेश्वर प्रसाद महथा	२९४
८	श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह	३०५, ५६३
९	श्री राम जन्म ओझा	३१५, ८७१८
१०	श्री ब्रजनन्दन शर्मा	३१७, ७९१
११	श्री राजाराम आर्य	३१८
१२	श्री देवेन्द्र नाथ झा	३२२
१३	श्री वासुदेव प्रसाद सिंह	३२७, ४९६, ७६८, ७६९, ८१०।

पदच्युति के विरोध में आवेदन-पत्र।

३०५। श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—क्या मंत्री, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या श्री अमर प्रसाद, शिक्षक, बौसी लोअर प्राइमरी स्कूल, थाना बौसी, जिला भागलपुर ने अपने पदच्युति के विरोध में आवेदन-पत्र तारीख ११ दिसम्बर १९५३ को दिया था;

(२) क्या ऐडिश्नल अन्डर-सेक्रेटरी, एल० एस०-जी० डिपार्टमेंट ने अपने पत्र संख्या डी/पी०-आई०-३०२२/६५—१५२३-एल०एस०-जी०, तिथि १७ फ़रवरी १९५५, द्वारा आवेदक से आवेदन की मूल प्रति को मांगा था;

(३) क्या एल० एस०-जी० डिपार्टमेंट के पत्र संख्या ५५३६, तिथि २३ मई १९५६, द्वारा भागलपुर के कलक्टर साहेब से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी थी;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन सी कार्रवाई की, यदि नहीं तो क्यों?

श्री मकबूल अहमद—(१), (२) तथा (३) उत्तर 'हां' में है।

(४) जिलाधीश, भागलपुर द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन से पता चला कि श्री अमर प्रसाद झा आज्ञा उल्लंघन, अनुशासन हीनता, अनाधीनता, तथा कुचेष्टा (mischief-mongering) करने के अपराध में ज़िला पर्षद् की सेवा से पदच्युत कर दिये गये। ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करने में असमर्थ रही।

कहलगांव-बाराहाट सड़क का प्रान्तीयकरण।

315. Shri RAM JANAM OJHA : Will the Minister, P. W. D., be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the District Board road running from Colgong to Barahat was scheduled to be taken over under the direct management of the P. W. D. as far back as in 1951;

(2) whether it is a fact that the condition of road has become very bad and it has become impossible even for pedestrians near Barahat;

(3) whether it is a fact that the Government had decided to get the road metalled through the Bhagalpur District Board about two years back;

(4) if the answers to the above clauses be in affirmative, when the work for metalling of the road will be started?

श्री मकबूल अहमद—(१) उत्तर नकारात्मक है।

(२) यह सड़क बाराहाट के समीप तेज गाड़ी वगैरह के लायक नहीं है परन्तु पैदल चलने वाले इस पर चल सकते हैं।

(३) अर्थाभाव के कारण कहलगांव से इस सड़क के केवल दो मील का सुधार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भागलपुर जिला बोर्ड द्वारा कराने का निश्चय किया गया है।

(४) सड़क के दो मील हिस्से के सुधार के लिये टेन्डर मांगा गया है और ठीकेदार चुना जा रहा है। ठीकेदार का चुनाव हो जाने पर इस सड़क के सुधार का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

सीतामढ़ी-मोतीहारी सड़क का सुधार।

817. **Shri BRIJ NANDAN SHARMA :** Will the Minister incharge Public Works Department be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the P. W. D. is going to improve the road from Sitamarhi to Motihari *via* Sheohar-Belwaghat and Dhaka under Second Five-Year Plan ;

(2) whether it is a fact that there is another road between Motihari and Sitamarhi *via* Riga, Dh nga, Bairgania and Dhaka which is more important as it connects important business centre situated on the border of Nepal and passes through areas mostly underdeveloped ;

(3) whether it is a fact there is an important road between Phulwaria and Narkatiaganj which has more significance for communication for solving the difficulties arising out of Nepal border and for connecting all important places, i.e., Ghorasahan, Adapur, Raxaul, Sikta, Narkatiaganj, etc. ;

(4) whether it is a fact that the road between Phulwaria and Dhaka is going to be improved under Second Five-Year Plan by Champaran District Board ;

(5) if the answers to the above clauses be in the affirmative, will Government be pleased to consider the alternative route and order improvement of the same in the interest of public in general and administration in particular ?

श्री मकबूल अहमद—(१) जी हां।

(२) जी हां, रीगा, ढेंग, बैरगनिया, और ढाका होते हुए मोतिहारी से सीतामढ़ी सड़क जिला पर्षद् की एक सड़क है जो नेपाल की सीमा के समीप से गुजरती है। ये सब जगहें तो रेलवे द्वारा संबंधित हैं परन्तु ढाका, बेलवाघाट तथा शिवहर रेलवे द्वारा संबंधित नहीं हैं।

(३) जी हां, फुलवरिया से नरकटियागंज तक घोड़ासहन, आदापुर, रक्सौल तथा सिकता होते हुए सड़क है जो रेल मार्ग द्वारा भी संबंधित है।

(४) जी हां, फुलवरिया से ढाका तक कुल ७ मील लम्बी सड़क में ३ मील लम्बी सड़क को जिला पर्षद् द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुधार किया जा रहा है।

(५) अर्थाभाव के कारण सरकार के लिये ऐसा करना अभी संभव नहीं है।